

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

105
08/06/2023

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102616

दिनांक : 08/06/2023

लोक सूचना

मैरारस ट्रसिटी डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये डेजिग्नेटेड पार्टनर श्री राजेश जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन, पंजीकृत कार्यालय— ई44, लाल बहादूर नगर, रामजीपुरा, जेएलएन मार्ग, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	नृसिंहपुरा, सांगानेर (जयपुर)	ट्रसिटी डवलपर्स एल.एल.पी.	811/108	7777.00 गे से 1163.00	0.1163
				कुल	0.1163

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08.06.2023 को जारी की गयी।


पद्मिणी कुमार
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-4 / 2023 / डी- 1172

दिनांक 8.06.2023

विज्ञापित / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	49	विप्र विहार	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईड प्लान एवं रसीद आदि।
2	313	सिद्धार्थ नगर ए	श्री रामहेत मीणा पुत्र स्व. श्री घासी लाल मीणा	श्री घासी लाल मीणा पुत्र स्व. श्री छोटा लाल मीणा	पंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
3	21-22 ए	प्रेम नगर	श्री लक्ष्मी नारायण मीणा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल मीणा एवं सीता मीणा पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण मीणा	श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा	पूर्व में जारी लीजडीड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी-1167

दिनांक 14.03.2023

विज्ञप्ति/ सूचना

आवेदिका द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में फ्रीहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	6	न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्रीजी नगर	श्री पवन कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री विजय नारायण पारीक	श्री विजय नारायण पारीक पुत्र श्री भोलानाथ पारीक	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर
2	190	बसन्त सिन्धी आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की योजना बंसत बहार	श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री तुलजा राम माहेश्वरी	श्री तुलजाराम पुत्र श्री केवलराम	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं बटवारनामा के आधार पर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102592

2667

DATED 07/01/2023

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव हिस्सा 1/2 निवासी 25 मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर एवं श्रीमती ऐश्वर्य छाबड़ा पुत्री श्री दिनेश कुमार छाबड़ा हिस्सा 1/2 निवासी 11, बजाज नगर एनक्लेव, गाँधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का वाणिज्य उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-सिरोली तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	1. श्रीमती श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव हिस्सा 1/2, निवासी 25 मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर 2. श्रीमती ऐश्वर्य छाबड़ा पुत्री श्री दिनेश कुमार छाबड़ा हिस्सा 1/2, निवासी 11, बजाज नगर एनक्लेव, गाँधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर	3419 / 3397	0.0430 हैक्टेयर
	कुल	कुल किता 01	रकबा 0.0430 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07/01/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन करायें जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com }



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/585	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
2	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/578	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
3	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/587	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
4	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/445	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
5	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/446	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
6	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/AE/444	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
7	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/BC/90	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
8	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/DB/130	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
9	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/BC/105	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर
10	श्री रामावतार शर्मा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्रांन स्व. श्री छगन लाल	श्री छगन लाल पुत्र श्री भौरी लाल	9/DC/102	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यू पश्चात पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर

011
उपस्थित जोन-9
जविप्रा जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/ क्रमांक:/डी-2209
दिनांक 08/16/2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय) : फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आग सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुशीला शेखावत पत्नी रव. श्री अर्जुन सिंह शेखावत एवं श्री शिव सिंह शेखावत पुत्र रव. श्री अर्जुन सिंह शेखावत	ले.कर्मल अर्जुन सिंह शेखावत पुत्र श्री उदय सिंह	सी-16	जविप्रा	रामनगरिया विस्तार	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/क्रमांक:/डी- 2711
दिनांक 08/16/2023

9/1/23

उपायुक्त, जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

437317

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुश्री एंजल जसोरिया पुत्री स्व. श्री विकास जसोरिया	श्री नारायण पुत्र श्री सुन्दर	ए-162	जविप्रा	टीलावाला	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जविप्रा, जयपुर
जोन-9
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/क्रमांक:/डी- 2710
दिनांक 08/6/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 2715

दिनांक:- 08/6/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी संस्थानिक एकल पट्टा ग्राम श्रीकिशनपुरा तह. सांगानेर खसरा नम्बर 167, 168 क्षेत्रफल 4129.97 वर्ग गज की लीजडीड श्री हजारी लाल पुत्र श्री गोपाल लाल मु.आम. अशोक अग्रवाल पुत्र श्री सुरजमल अग्रवाल के नाम जारी की गयी है तत्पश्चात उक्त भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने पर जविप्रा द्वारा क्रमांक डी-477 दिनांक 29.01.09 को नमन बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री धमेन्द्र मेहता पुत्र श्री अमरचन्द्र मेहता एवं श्री अनिकेत हरकावत पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन के नाम हस्तान्तरण जारी किया जा चुका है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-2 के उपबिन्दु संख्या-iv के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन संस्थानिक से मास्टर प्लान/जोनल प्लान में दर्शित आवासीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

किन्ही दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 8/6/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक (नगर आयोजना) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स: +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)